



## प्रेस नोट

थाना – पिलखुवा

दिनांक 20.10.2022

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एक आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

### कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में महिला/बालिकाओं से सम्बन्धित प्रचलित वादों में प्रभावी पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाये जाने के अभियान के अन्तर्गत थाना पिलखुवा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते थाने के मु0अ0सं0 512/14 धारा 376 भादवि व 3(1)(12) एससी/एसटी एक्ट में एक आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

### सिद्धदोष अपराधी का नाम व पता:-

महेश तोमर पुत्र कुंवरपाल निवासी मौ0 रमपुरा चर्च वाली गली थाना पिलखुवा जनपद हापुड ।